राजस्व प्रार्थना पत्र 16/2021
जीसीएमएसम नंबर 2021/87
रामपाल बनाम सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जायल (नागौर)

पीठासीन अधिकारी–रवीन्द्र कुमार आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र– 16/2021

प्रार्थी–

1. रामपाल उर्फ रामलाल पुत्र रूपाराम जाति बावरी, निवासी– धारणा तहसील–जायल , जिला–नागौर।

बनाम

अप्रार्थी–

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील–जायल , जिला–नागौर।

उपस्थित–

1. अभिभाषक श्री नरेन्द्र सिह राठोड प्रार्थी की ओर से।
2. राजपैरोकार (तहसीलदार)

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956

निर्णय

दिनांक :– 27/6/2022

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी का नाम रामलाल है। जिसे परिवार के लोग घर में रामपाल के नाम से भी पुकारते है। मौजा धारणा के खेत खाता सं. 501 मे दर्ज खेत ख.न. 540 के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा खातेदारी मे नाम दर्ज करते समय राममलाल के स्थान पर रामपाल दर्ज कर दिया।

प्रार्थी के नाम से ग्राम धारणा में राशनकार्ड संख्या 008272700210 बना हुआ है जिसमे प्रार्थी का नाम रामलाल दर्ज है। प्रार्थी के नाम भामाशाह कार्ड, निर्वाचन आयोग द्वार जारी पहचान पत्र मे भी प्रार्थी का नाम रामलाल दर्ज है। इसके साथ ही प्रार्थी के नाम जारी जॉब कार्ड, आधारकार्ड, जाति प्रमाण पत्र व बैक खाता सं. 61286798280 मे भी प्रार्थी का नाम रामलाल दर्ज है। परन्तु राजस्व अभिलेखों में मात्र रामपाल दर्ज है तथा इस गलत इन्द्राज के कारण प्रार्थी को सरकारी मुआवजा व अन्य प्रकार की ऋण सुविधाओं मे परेशानी आने से प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी आया।

27/6/2022
उपखण्ड कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। जवाबदेही हेतु नियत तारीख पेशी को अप्रार्थी राजपैरोकार ने हल्का पटवारी धारणा की मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया कि ग्राम धारणा के ख.न. 540 में रामपाल पुत्र रूपाराम जाति बावरी के नाम खातेदारी मे दर्ज है। प्रार्थी का नाम जरिये विरासत के नामान्तकरण सं. 960 के जरिये रूपाराम पुत्र पुसाराम के स्थान पर रामलाल पुत्र रूपाराम दर्ज हुआ। जो शुद्ध किया जाना उचित है।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की ताईद में हल्का पटवारी धारणा तहसील जायल की रिपोर्ट, प्रार्थी के मतदाता पहचान पत्र संख्या आरजे/02/192/324960, आधार कार्ड संख्या 6451 2485 2784, जॉब कार्ड सं. 7265579, जाति प्रमाण सं. आर.जे 2017/18152580157, राशनकार्ड सं. 008272700210 तथा ग्राम धारणा नकल खतौनी सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 501 प्रस्तुत की। साक्ष्य प्रार्थी बन्द की गई तथा पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकील प्रार्थी की सूनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान किया तथा राजस्व रिकॉर्ड में धारण के खतौनी सं. 501 में अंकित खसरान् में प्रार्थी का नाम रामपाल के स्थान पर रामलाल शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेज धारणा तहसील के खतौनी सं. 501 में वर्णित खसरान की भूमि जो कि प्रार्थी को पुश्तैनी बडेर की भूमि जो कि विरासत नामान्तकरण से प्राप्त हुई है तथा खातेदार के रूप में दर्ज है। इसी प्रकार प्रार्थी के मतदाता पहचान पत्र , जॉब कार्ड, राशनकार्ड, आधारकार्ड व जाति प्रमाण पत्र में प्रार्थी का नाम रामलाल एवं रामपाल एक ही व्यक्ति के नाम होने की सम्पुष्टि होती है तथा अन्त में अप्रार्थी पक्षकार तसहीलदार जायल की जांच रिपोर्ट के अवलकोन से प्रथम दृष्टया यह साबित है कि प्रार्थी का सही नाम जो कि नामान्तकरण के समय रामलाल के स्थान पर रामपाल दर्ज हुआ है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है, परन्तु प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ का निदान (Remedy) भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की सुंसगत धाराओं में नहीं है। प्रार्थी का वास्तविक नाम खातेदार के रूप में दर्ज नहीं होकर बोलता नाम दर्ज हो चुका है जिसका समाधान नहीं होने के कारण प्रार्थी को भारी क्षति हो रही है एवं सरकारी योजनाओं का लाभ महज इसलिए नहीं मिल रहा है

राजस्व प्रार्थना पत्र 16/2021
जीसीएमएसएम नंबर 2021/87
रामपाल बनाम सरकार

कि प्रार्थी का नाम अन्य सरकारी दस्तावेजात का नाम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में दर्ज नाम से समानता नहीं रखता है, जबकि रामपाल व रामलाल दोनो एक ही व्यक्ति है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 209 मे प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) ग्राम धारणा के खाता संख्या 501 में दर्ज खातेदार नाम रामपाल के स्थान पर वास्तविक नाम रामलाल दुरूस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

यत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे ग्राम धारणा तहसील जायल की नकल जमाबंदी खाता संख्या 501 दर्ज नाम रामपाल के स्थान पर रामलाल दुरूस्त किया जाकर रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 27/6/2022 को मेरे द्वारा खुले इजलास सुनाया गया।

27/6/2022
(रवीन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, जायल